28.11.25

वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रा० पत्र को शामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि उक्त प्रकरण मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादीगण इस प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही करना चाहते है प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे।

रामप्रसाद

सुरेश

मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया तथा प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से एंव वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला-भीलवाड़ा